

परिशिष्ट

(देखिये नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.
 - (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :- स्यालब-सुकन पेयजल योजना विकास खण्ड- नौगांव जनपद- उत्तरकाशी :- संलग्न है।
 - (ख) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :-
 - (ग) परियोजना की लागत। :- 99.27 लाख
 - (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :- अन्य कोई विकल्प न होने के कारण पेयजल योजना वन क्षेत्र में प्रस्तावित है। जनहित में योजना का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।
 - (ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :- आवश्यकता नहीं है
 - (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :- 8000 मानव दिवस लगभग
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। :- संलग्न है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। :- आवश्यकता नहीं है
- (क) परिवारों की संख्या :- शून्य
 - (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या :- शून्य
 - (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :- आवश्यकता नहीं है
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) :- नहीं।